न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

रिमाण्ड प्रकरण संख्या:–163 / 2004

1. हरीचन्द पुत्र झांगीराम जाति कम्बोज निवासी 5 एच तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. सुहागो बाई पत्नी झांगीराम जाति कम्बोज निवासी 5 एच तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरो बाई पुत्री झांगीराम जाति कम्बोज निवासी 5 एच तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––वादीगण

बनाम्

1. केसरचन्द पुत्र झांगीराम जाति कम्बोज निवासी 5 एच तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. लक्ष्मी बाई पुत्री झांगीराम जाति कम्बोज निवासी 5 एच तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–––प्रतिवादीगण

::निर्णय:: दिनांक :21.08.2020

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी सं.–1 व 3 के पिता व वादी सं.–2 के पति और प्रतिवादी सं.–1 एवं 2 के पिता झांगीराम ने चक 5 एच के मु.नं. –120 / 17 के किला नं.–1ता25 के 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि जरिये बैयनामा खरीद की थी। झांगीराम की मृत्यु दिनांक 09.01.97 हो चुकी है। मृत्यु के पूर्व झांगी राम ने अपनी सम्पति की वसीयत वादी सं.–1 के पक्ष में दिनांक 04.01.93 को कर दी थी। जिसने वादाधीन भूमि की वसीयत के द्वारा वादी सं.–01 के पक्ष में की थी। झांगी राम की मृत्यु के बाद उसके वारिसान क्रमशः सुहागोबाई (पत्नी) गुरीबाई (पुत्री), लक्ष्मी बाई, (पुत्री), हरीचन्द (पुत्र), केसरचन्द(पुत्र) थे। झांगीराम ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपनी सम्पति की व्यवस्था कर दी थी। जिसमें अपने पुत्र केसरचन्द जो कि इस वादाधीन भूमि की खरीद से पहले ही परिवार से अपनी सम्पति में से हिस्सा लेकर अलग रहता था व लडकियों के शादी में खर्च किया था व शेष सम्पति की वसीयत वादी सं.–01 हरीचन्द के पक्ष में कर दी थी। झांगीराम की मृत्यु के बाद से उसकी सम्पति को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। जिससे वादाधीन भूमि वादी सं.–1 हरीचन्द के कब्जा काश्त में है। इस भूमि पर

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी नं.–01 केसरचन्द कब्जा करने की गर्ज से दिनांक 13.01.97 को आया और कहा कि भूमि पर से मेरे हिस्से की 1/5 हिस्से की भूमि छोड़ दो नही तो जबरदस्ती कब्जा कर लूंगा। जिस पर वाद दर्ज रजि. किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने उपस्थित आकर वाद वादी स्वीकार कर इकबालदावा/जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के दावा का विरोध किया। जिस पर तनकीयात कायम की जाकर, साक्ष्य उभयपक्ष ली गई एवं बहस सुनने के उपरान्त तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने वाद वादी निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2002 के द्वारा खारिज कर दिया।

2. इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री 30.07.2002 के विरूद्ध वादी ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गंगानगर के समक्ष अपील सं.–93/2002 प्रस्तुत की जो दिनांक 22.07.2003 को आंशिक रूप से स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2002 निरस्त कर निर्णय के पैरा संख्या 26 की ऑब्जरवेशन को ध्यान में रखते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः निर्णय देने हेतु इस न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया।

3.माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्री गंगानगर के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी केसर चन्द ने अपील /टी.ए./ 5309 /2003 / गंगानगर पेश की जो दिनांक 01.07.2015 को खारिज की जाकर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 22.07.2003 की पुष्टि की गई।

4. तदुपरांत पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 22.07.03 की पालना में सुनवाई हेतु नम्बर पर लेकर पेशी में लेकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

5.मुताबिक रिपोर्ट तामील कुनिन्दा प्रतिवादी सं.–1 ने सम्मन/नोटिस लेने से इंकार कर दिया। न्यायालय की राय में प्रतिवादी संख्या–1 केसरचन्द को हस्तगत रिमांड प्रकरण की जानकारी होने एवं प्रेषित सम्मन की तामील किए जाने पर इंकार किए जाने की स्थिति में ऐसा माना जाना उचित ही है कि वह प्रकरण की जानकारी एवं सम्यक् तामील हो चुकने के बावजूद वह न्यायालय के समक्ष उपसंजात नहीं हुआ, फलतः उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.18 को एकपक्षीय कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी संख्या–2 लक्ष्मीबाई द्वारा दिनांक

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner

14.08.2018 को इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया। अतः संबंधित प्रतिवादी पक्षकारों को सुने जाने के स्तर पर कोई कार्यवाही लंबित नही रही। वादी की तरफ से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश करने पर शामिल मिस्ल किया गया। वकील वादी कोई और साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते है, अतः साक्ष्य वादी बन्द किया गया। पत्रावली वास्ते बहस मुर्करर की गई। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

6. तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित छः तनकीयात कायम की, जिन पर तनकी वार निर्णय किया जाना है–

तनकी नं.–1 आया कि मृतक झांगीराम ने वादाधीन भूमि जरिए बैयनामा खरीद की ? .....**जिम्मे वादी**

तनकी नं.–2 आया कि झांगीराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 04.01.1993 को वादी नं.–01 के पक्ष में पंजीकृत करवायी थी।

.....**जिम्मे वादी**

तनकी नं.–3 आया कि वसीयत दिनांक 04.01.1993 के द्वारा मृतक झांगीराम की खरीदशुदा भूमि का वादी नं.–01 खातेदार कृषक हो गया है।

..... **जिम्मे वादी**

तनकी नं.–4 आया वादाधीन भूमि मृत्तक झांगीराम की पैतृक सम्पति होने के कारण वसीयत निष्प्रभावी है? .....**जिम्मे प्रतिवादी**

तनकी नं.–5 आया वसीयत दिनांक 04.01.1993 फर्जी, कूटरचित होने के कारण विधि द्वारा लागू होने लायक नहीं है। .....**जिम्मे प्रतिवादी**

तनकी नं.–6 अनुतोष ?

<u>तनकी नं.–1</u> आया कि मृतक झांगीराम ने वादाधीन भूमि जरिए बैयनामा खरीद की? .....**जिम्मे वादी**

हस्तगत पत्रावली में विवादित भूमि का बैयनामा प्रस्तुत नही किया गया है। परंतु पत्रावली पर प्रदर्श–1 जमाबंदी के आधार पर स्पष्ट है कि विवादित भूमि निसली पत्नी ताराचन्द सा. निहरा जिला झुंझनू पु0आ0 दर्ज है तथा इन्तकाल नं0 19 दिनांक 12.07.1991 से उसे खातेदारी मिली है तथा इन्तकाल नं0 20 दिनांक 12.07.1991 से जरिये बैयनामा स्व. झांगीराम पुत्र हाडीराम, कम्बोज निवासी 5 एच खातेदार स्वीकृत हुआ। जमाबंदी में पटवारी सिवनी बी द्वारा दिनांक 24.08.1995 को लगे नोट के अनुसार उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में राज.उप.अधि. की धारा 13ए के तहत जिला कलक्टर कार्यालय में प्रकरण जैरकार बताया है। खातेदारी का

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner

इन्तकाल और बैयनामा का इन्तकाल एक ही दिनांक 12.07.1991 को तस्दीक हुआ, इससे स्पष्ट है कि बैचान दिनांक 12.07.1991 से पूर्व हुआ होगा। इस तरह गैरखातेदारी का बैयनामा होना प्रतीत होता है। पत्रावली के पृष्ठ 11/3 प्र.सं. 547/94 के निर्णय दिनांक 14.08.95 की फोटोप्रति संलग्न है, जिसे अति. कलक्टर (सतर्कता) द्वारा नियमन की कार्यवाही दिनांक 23.01.1991 को हो जाने से प्रकरण को समाप्त किया गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि जरिये बैयनामा स्व. झांगीराम द्वारा खरीदी गई है। अतः तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

<u>तनकी नं.–2</u> आया कि झांगीराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 04.01.1993 को वादी नं.–01 के पक्ष में पंजीकृत करवायी थी। .....**जिम्मे वादी**

वादी सं.–1 ने वादपत्र एवं साक्ष्य पी.डब्ल्यू–1 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि झांगीराम ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पति की वसीयत दिनांक 04.01.1993 को वादी नं.–01 के पक्ष में की थी। झांगीराम की मृत्यु 1997 को हो चुकी है। मेरे को स्नेहवश वसीयत की थी। मेरे पास मेरा पिता रहता था। मैं उनकी सेवाचाकरी करता था। गवाह <u>पी.डब्ल्यू–2</u> जंगसिंह व <u>पी.डब्ल्यू–3</u> बजरंगसिंह ने अपने बयानों में कथन किया है कि झांगीराम ने दिनांक 04.01.1993 को अपने लड़के हरिचंद के पक्ष में वसीयत प्रदर्श–2 लिखी थी। यह वसीयत श्री अशोक कुमार अरायजनवीस से लिखवायी थी। अरायजनवीस ने वसीयत पढ़ कर सुनाई व झांगीराम ने सोच समझ कर सही मानकर वसीयत पर एक्स स्थान पर अंगूठा किया। वसीयत पर 'ए' से 'बी' जंगसिंह के गवाह के हस्ताक्षर एवं 'सी' से 'डी' गवाह बजरंग सिंह के हस्ताक्षर है। वसीयत लिखने के बाद उपपंजीयक के सामने पेश की उन्होंने वसीयत पंजीयन की वा <u>पी.डब्ल्यू–4</u> में झांगीराम के द्वारा हरीचंद के पक्ष में वसीयत करने की पुष्टि की है। झांगीराम की पत्नी सुहागो बाई ने अपने बयानों में व वादी संख्या–01 एवं प्रतिवादी संख्या–01 की बहन प्रतिवादी संख्या–02 लक्ष्मी बाई ने भी अपने इकबालदावा में वसीयत दिनांक 04.01.1993 की सत्यता को स्वीकार किया है। वसीयत के निष्पादन के समय स्व. झांगीराम इतना बीमार था कि उससे सूझबूझ की कमी थी और वह स्वस्थ चित नही था, प्रतिवादी ने यह स्पष्टया साबित नही कराया है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 22.7. 2003 के बिन्दु संख्या 26 में यथा उल्लिखितानुसार वसीकानवीस श्री अशोक कुमार

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner

एवं उप पंजीयक कार्यालय से सम्बन्धित स्टॉफ के बयान करवाए जाने सम्भव नही है, क्योंकि वकीलवादी द्वारा अवगत करवाया गया कि वसीकानवीस श्री अशोक कुमार की दिनांक 26.06.2015 को मृत्यु हो चुकी है (सलंग्न मृत्यु प्रमाण पत्र) एवं तत्कालीन स्टॉफ उपपंजीयक कार्यालय के पते सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नही है। पत्रावली में उपलब्ध अभिवचनों एवं साक्ष्य से मृतक झांगीराम के द्वारा स्वेच्छा व स्वस्थचित से अपने लड़के वादी हरीचंद के पक्ष में दिनांक 04.01.1993 को वसीयत विधिवत हाशिया गवाहन के समक्ष निष्पादित कर पंजीकृत करवाना एवं वसीयत का सही व सत्य होना साबित हैं। कानूनन किसी पंजीकृत दस्तावेज की वैधता स्वतः सिद्ध है, जब तक कि किसी सक्षम न्यायलय के द्वारा किसी पंजीकृत दस्तावेज को फर्जी, कूटरचित अथवा शून्य घोषित न कर दिया जावें। न्यायालय हाजा किसी पंजीकृत वसीयत की वैधता निर्धारित करने हेतु सक्षम न्यायालय नहीं है। किसी पंजीकृत वसीयत के आधार पर, वसीयत जिसके पक्ष में निष्पादित की गई है, को वसीयत निष्पादन के 27 वर्ष बाद भी राहत न मिलने से बड़ा असम्मान किसी मृत्त व्यक्ति की अंतिम इच्छा का नहीं हो सकता है। उक्तानुसार प्रतिवादी ने उक्त वसीयत दिनांक 04.01.1993 का खडंन करने में कोई ठोस साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया है। वादी ने अपने जिम्मे की तनकी संख्या–02 साबित की है उक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 02 का विनिश्चय वादी के पक्ष में निर्णित है।

तनकी नं.–3 आया कि वसीयत दिनांक 04.01.1993 के द्वारा मृतक झांगीराम की खरीदशुदा भूमि का वादी नं.–01 खातेदार कृषक हो गया है। ..... जिम्मे वादी

यह कि तनकी नं.–1 एवं 2 का विनिश्चय वादी के पक्ष में करते हुए यह विनिशचित किया गया है कि वादाधीन भूमि मृतक झांगीराम की खरीदशुदा कृषि भूमि है जिसकी खातेदारी सनद का इंतकाल दिनांक 12.07.1991 को स्वीकृत हो चुका है। उक्त वादाधीन भूमि की वसीयत दिनांक 04.1.1993 को झांगीराम ने वादी संख्या–01 हरीचंद के पक्ष में की है। चूंकि वादाधीन भूमि हरीचंद खरीदशुदा व खातेदारी होने के कारण स्वअर्जित सम्पति है। जिसकी वसीयत करने हेतु झांगीराम पूर्णतया सक्षम था। झांगीराम का देहांत 09.01.1997 को हो चुका है। अतः वसीयत के आधार पर वसीयत में दर्ज वादाधीन कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार वादी संख्या–01 हरिचंद में निहित हो गये है ओर वादी सं.–1 स्वयं को वादाधीन कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपने जिम्मे की

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner

तनकी सं–3 साबित की है उक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 03 का विनिश्चय वादी के पक्ष में निर्णित है।

<u>तनकी नं.–4</u> आया वादाधीन भूमि मृत्तक झांगीराम की पैतृक सम्पति होने के कारण वसीयत निष्प्रभावी है? .....जिम्मे प्रतिवादी

प्रतिवादी के अनुसार ग्राम मोहम्मदपुर सलारपुर की पैतृक भूमि को विक्रय कर, उसकी रकम से विवादित भूमि का बैयनामा करवाया गया है तथा मुल्ला के हिन्दु विधि के अनुच्छेद 223(6) के अनुसार पैतृक सम्पति से खरीदी गई भूमि पैतृक होगी। इसलिए अब हमें देखना है कि मोहम्मद सल्लारपुर की भूमि पैतृक है अथवा नहीं। प्रतिवादी ने हरियाणा की भूमि के सम्बन्ध में प्रदर्श– 1 से 5 प्रस्तुत किए है। ईएक्स–1ए जमाबन्दी 1988–89 है, जो मोहम्मद सल्लारपुर की खतोरी संख्या 179 खाता संख्या 120 के ख0नं0 70,71,128 की है, जिसमें नहरी 1 बीघा, चाही 6.16 बीघा, गै.मु. 0.02 बीघा कुल 7.18 बीघा दर्ज है। उक्त विवादित भूमि हाड़ीराम पुत्र मानाराम पुत्र मंहगाराम के नाम मालिक की हैसियत से दर्ज है। विशेष विवरण में 961 विरासत दर्ज है। उक्त जमाबंदी की नकल दिनांक 13.03.1997 को जारी की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 13.03.97 तक उक्त भूमि हाडीराम के नाम ही अंकित है। स्व. झांगीराम के नाम दर्ज नहीं हुई। इससे उक्त भूमि का बेचान नही होना प्रकट होता है।

ईएक्स–2 इन्तकाल है, जिसमें जमाबन्दी संवत् 1988–89 के खाता संख्या 120 के किते 3 रकबा 7.18 बीघा भूमि हाडीराम पुत्र मानाराम पुत्र मंहगाराम के नाम से सतनामचन्द पुत्र हाडीराम पुत्र मानाराम तथा खाता संख्या 124 के ख0 नं0 181 रकबा 0.19 बीघा गै0मु0 प्लॉट हाडीराम मजकूर 1/2 भाग, बाकी बदस्तूर 1/2 भाग का इन्द्राज सतनामचन्द मजकूर 1/2 भाग, बाकी बदस्तूर 1/2 भाग विरासत वसीयत जवानी बरूवे रपट रोजनामचा बाकयाती नं0 426/2.6.1994 तारीख मौत 20.06.1992 से उक्त इन्तकाल पटवरी हल्का द्वारा दिनांक 02.06.1994 को भरा गया है। दिनांक 12.06.1994 को कानूनगों द्वारा मुकाबला शुद्ध किया गया तथा कुल 8.07 बीघा सतनामचन्द के नाम ए सी ा–9 द्वारा दिनांक 14.06.1994 को प्रमाणित करना दर्ज है। इससे उक्त भूमि का बैचान प्रकट नही होता है।

ईएक्स–3 इन्तकाल है। जिसमें खाता संख्या 122,181 से 183 बरूवे जमाबन्दी 1988–89 से इन्द्राज है। जिसमें किता 11 रकबा 64–8 नहरी झांगीराम पुत्र

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner

हाडीराम पुत्र मानाराम 640/5154 भाग बाकी बदस्तूर 4514/5154 भाग दर्ज है, जिसका इन्द्राज मित्रपालसिंह, मुख्त्यारसिंह, अजमेर सिंह, हरदीपसिंह पुत्र लखवीर सिंह पुत्र राजसिंह सहभाग दर्ज किया गया है। यह इन्तकाल तबादला बाहुक्म अदालत श्री राजकुमार एचसीएस सीनीयर सब जज सिरसा मुकदमा नं0 1448/91 तारीख आदेश 14.12.1991 हमारा मकान ग्राम मोहम्मदपुर सलवारपुर से पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.08.1993 को खोला गया तथा दिनांक 12.08.1993 को कानूनगों द्वारा जांच की गई है तथा एसी–ा 9 द्वारा दिनांक 25.09.1993 को प्रमाणित किया गया है। इस इन्तकाल से उक्त भूमि का भी बैयनामा प्रकट नही होता है।

ईएक्स–4 इन्तकाल है, जो ग्राम अजीपुर टीटूखेड़ा तहसील सिरसा खाता 296/395 के ख0नं0 50 एवं 51 के किता 4 रकबा 24–6 नहरी झांगीराम पुत्र हाडीराम पुत्र मानाराम के नाम दर्ज है तथा बैय बजरियन परचा रजिस्टरी नं0 803/15.5.89 बदले 60,000/–रू. साठ हजार रूपये के आधार दिनांक 24.07.1995 को पटवारी द्वारा भरा गया तथा गिरदावर द्वारा दिनांक 28.07.1995 द्वारा जांच की गई है तथा एस ा–9 द्वारा दिनांक 30.08.1995 मंजूर किया गया है जो उक्त विक्रयपत्र दिनांक 15.5.89 द्वारा श्रीमति देवकी देवी पत्नी हेमराज पुत्र मिठाराम के नाम तस्दीक हुआ है तथा उक्त भूमि का विक्रयपत्र दिनांक 15.05.89 को हुआ। परन्तु जमाबंदी में उक्त भूमि स्व. झांगीराम के नाम दर्ज है। उक्त भूमि की झांगीराम के पिता हाडीराम के नाम की जमाबंदी पेश नही की गई है। इससे भूमि पिता अथवा दादा से आई हो ऐसा प्रकट नही होता है।

ईएक्स–5 इन्तकाल है। जिसमें कुल 43.8 भूमि झांगीराम पुत्र हाडीराम के नाम दर्ज है तथा बैय बजरिया परचा रजिस्टरी नं0 804 मिती 15.5.1989 बदले मुबालिग 1,05,000/–रू. बेची गई है। इन्तकाल पटवरी द्वारा दिनांक 23.06.1989 को खोला गया। कानूनगों द्वारा दिनांक 05.07.1989 को जारी की गई तथा एसी–ा 9 द्वारा दिनांक 23.02.90 द्वारा मंजूर किया गया तथा लखवीर सिंह पुत्र राजसिंह पुत्र भूपसिंह व मुख्त्यारसिंह, अजमेरसिंह, हरदीपसिंह पुत्रगण लखवीरसिंह पुत्रगण राजसिंह समभाग तस्दीक किया गया। उक्त विक्रयपत्र भी दिनांक 15.5.89 को पंजीकृत हुआ तथा विवादित भूमि स्व. झांगीराम के नाम दर्ज है। झांगीराम के

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner

पिता अथवा दादा के नाम की जमाबन्दी पेश नही की गई है। इसलिए उक्त भूमि स्व. झांगीराम के पिता अथवा दादा से आना प्रकट नही होता है।

विवादित भूमि 21.16 बीघा भूमि का बैयनामा प्रस्तुत नही किया गया। उक्त विवादित भूमि 21.16 बीघा सन् 1987 में खरीदी थी तथा हरियाणा की जमीन जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 15.5.89 को बेची गई परन्तु राजस्थान की विवादित भूमि सन् 1987 में ही जरिये बैयनामा खरीदना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में हरियाणा की भूमि के बेचान की रकम से राजस्थान की विवादित भूमि खरीदना स्पष्ट नही होता है तथा स्व. झांगीराम के पिता अथवा दादा की जमाबंदी भी प्रस्तुत नहीं की, इससे हरियाणा की भूमि को पैतृक मानी जा सके। अतः प्रतिवादी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि ग्राम मोहम्मद सलारपुर की पैतृक भूमि को विक्रय कर उसकी रकम से विवादित भूमि का बैयनामा करवाया गया है, फलतः तनकी संख्या–4 का विनिश्चय प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी नं.–5 आया वसीयत दिनांक 04.01.1993 फर्जी, कूटरचित होने के कारण विधि द्वारा लागू होने लायक नहीं है। .....**जिम्मे प्रतिवादी**

यह है कि कानूनन किसी पंजीकृत दस्तावेज की वैधता स्वतः सिद्ध है, जब तक कि किसी सक्षम न्यायलय के द्वारा किसी पंजीकृत दस्तावेज को फर्जी, कूटरचित अथवा शून्य घोषित न कर दिया जावें। न्यायालय हाजा किसी पंजीकृत वसीयत की वैधता निर्धारित करने हेतु सक्षम न्यायालय नहीं है। प्रतिवादी ने अपने जिम्मे की इस तनकी को साबित करने एवं वसीयत को फर्जी एवं कूटरचित घोषित करवाने के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र अथवा वाद दायर किया हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है। जबकि इसके विपरीत वादीगण ने ठोस साक्ष्य पेश कर झांगीराम के द्वारा स्वेच्छा एवं स्वस्थचित से वसीयत निष्पादित कर पंजीकृत करवाना साबित किया है और तनकी संख्या–02 का विनिश्चय वादी सं.–01 के पक्ष में किया गया है। विधिक रूप से कोई भी व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पति की अपनी स्वेच्छा से वसीयत करने का अधिकारी हैं, परंतु प्रतिवादी संख्या–01 यह भी साबित करने में असफल रहा है कि झांगीराम कानूनन वसीयत निष्पादित करने हेतु सक्षम नहीं था। सारतः प्रतिवादी अपने जिम्मे

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner

की तनकी संख्या–05 साबित करने में असफल रहा है, उक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 05 का विनिश्चय प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी नं.–6 अनुतोष?

वादी ने अपने अभिवचनों, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से वाद एवं अपने जिम्मे की तनकी संख्या–01 से 03 को अपने पक्ष में साबित किया है जबकि प्रतिवादीगण अपने जिम्मे की तनकी संख्या–04 एवं 05 को साबित करने में असफल रहे है। उक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

7. पत्रावली में वकील वादी की एक पक्षीय बहस तथा पत्रावली में साक्ष्यों सबूतों का मनन करने के बाद यह स्पष्ट है कि झांगीराम ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपनी सम्पति की वसीयत वादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 04.01.1993 को कर दी थी। स्व. झांगीराम ने उक्त विवादित भूमि की वसीयत वादी संख्या 1 के पक्ष में की है वह स्व. झांगीराम की स्वअर्जित सम्पति है। उक्त विवादित भूमि पैतृक सम्पति होना साबित नही हो पाया। अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

::आदेश ::

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, सबूत और वादी संख्या–01 की एक पक्षीय बहस से प्रकट हुए तथ्यों का इस न्यायालय द्वारा गंभीरतापूर्वक अवलोकन और मनन करने के बाद न्यायालय यह आदेश देता है कि चक– 5 एच तहसील अनूपगढ़ का मु0नं0 120/17 का किला नं0 1ता25.की 21 बीघा 16 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि का वादी संख्या 1 हरीचन्द को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा उपर्युक्तानुसार भूमि राजस्व रिकार्ड मे वादी संख्या 1 हरीचन्द पुत्र स्व. झांगीराम के नाम से दर्ज करने के आदेश तहसीलदार अनूपगढ़ को दिये जाते है एवं प्रतिवादी संख्या–01 को इस आशय की स्थायी निषधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी को वादी की चक 5 एच के मुरब्बा नं.–120/17 के किला नं.–1ता25 की 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि से जबरदस्ती बेदखल करने से वर्जित रहे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Scanned with CamScanner